

# टीएमसी के विधायकों ने जो किया वही सांसद भी करने जा रहे हैं

## अटकलें हैं कि लगभग 20 सांसद टीएमसी छोड़ने की तैयारी में हैं, उन्हें भी अभिषेक बनर्जी के नियंत्रण से परेशानी महसूस हो रही है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 4 जून। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के बाद अब बारी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की है।

एसी जोरदार अफवाहें चल रही हैं कि सांसद भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं, जिस पर पहले विधायक चले थे। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसद अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को छोड़कर बागी विधायकों के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं।

हालांकि सांसदों के पलायन के स्पष्ट संकेत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबरें हैं कि उनमें से कुछ अलग समूह बनाने और विधानसभा में अपने बागी साथियों के साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं। इस विद्रोह का निशाना इस बार भी ममता बनर्जी से अधिक, उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी हैं।

एसे विद्रोह और राजनीतिक संकट

■ पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही अधिकांश सांसद पार्टी छोड़कर ऋतब्रत के खेमे में आ जाएंगे।

■ टीएमसी में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अभिषेक बनर्जी के मातहत काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन, ममता बनर्जी का अपने भतीजे पर अगाध स्नेह है। यह भी खबरें हैं कि चुनावी हार के बाद हुई मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी खड़े होकर अभिषेक बनर्जी के लिए ताली बजाने को मजबूर किया गया।

■ पार्टी नेताओं द्वारा एक के बाद एक मिल रहे झटके के बीच तृणमूल सुप्रिमो ममता बनर्जी को अपने पूर्व सहयोगी के हाथों सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। ममता भवानीपुर से चुनाव हार चुकी हैं और वे विधानसभा सदस्य नहीं हैं। ममता के पूर्व विश्वस्त हुमायूं कबीर ने चुनाव से पहले ही टीएमसी छोड़ दी थी। वे दो सीटों से विजयी हुए हैं। उन्होंने एक सीट ममता को देने की पेशकश की और कहा, ममता बनर्जी खुद उनके पास आकर सीट देने की याचना करें।

के बीच ममता बनर्जी को उनके ही एक पूर्व करीबी सहयोगी से सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़ चुके थे। उन्होंने दो सीटों से चुनाव जीता था और अब उन्हें एक

सीट खाली करनी है।

अब वे उन दोनों सीटों में से एक सीट ममता बनर्जी को देने की पेशकश कर रहे हैं, ताकि उन्हें विधानसभा में वापसी का एक जरिया मिल सके। ममता अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर से वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों चुनाव हार गई थीं। लेकिन हुमायूं की एक शर्त है-

ममता बनर्जी को स्वयं उनके पास जाकर उस सीट के लिए अनुरोध करना होगा। हुमायूं को भी पार्टी पर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते नियंत्रण से नाराजगी थी।

अब पार्टी का कोई भी सदस्य अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को राजी नहीं है और अब वे लोग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी व संजय बडाय आदि के खिलाफ जांच लंबित रखी।

अदालत ने फिलहाल आरोप पत्र को रिपोर्ट कैटेगरी में रखा है।

एसीबी की ओर से आरोप पत्र के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज पेश कर अपराध की कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों सहित संपूर्ण आरोप पत्र करीब 17 हजार पृष्ठों पर फैला हुआ है। पूर्व में विभाग के रिटायर व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गोडु, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। इसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सीजेपी को रैली की अनुमति नहीं देगी केन्द्र सरकार

## सीजेपी फाउण्डर 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे ही पुलिस थाने जाकर जंतर-मंतर पर रैली की अनुमति मांगेंगे

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 4 जून। सूत्रों के अनुसार, कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को 6 जून को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे गिरफ्तार किए जाने की संभावना कम है, लेकिन उन्हें उसी दिन जंतर-मंतर पर एक रैली आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी। यह रैली नीट परीक्षा पेपर लोकविवाद के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए की जानी है।

आमतौर पर जंतर-मंतर पर किसी प्रदर्शन के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले अनुमति लेनी होती है, लेकिन दिपके ने कहा है कि दिल्ली पहुंचते ही वे सीधे संसद मार्ग थाने जाएंगे और उसी दिन रैली की अनुमति मांगेंगे। यह दावा एक ओर भोला-भाला और वास्तविकता से दूर लगता है, तो दूसरी तरफ संदेह पैदा करता है। इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें से एक यह है कि सीजेपी को आरएसएस का समर्थन और वित्तीय सहायता प्राप्त है, ठीक वैसे ही, जैसे अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी के बारे में आरोप लगाए गए थे।

■ यह भी अटकलें हैं कि उन्हें दिल्ली आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस संभावना से इन्कार किया है।

■ सीजेपी ने यह रैली नीट परीक्षा प्रणाली की विफलता के खिलाफ आयोजित की है, उनकी मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा है।

■ नियमानुसार जंतर-मंतर पर रैली के लिए एक सप्ताह पहले अनुमति लेनी पड़ती है, पर, दिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और उसी दिन रैली के आयोजन की अनुमति मांगेंगे और पूरी संभावना है कि उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी।

■ सीजेपी को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि जैसे आप को आरएसएस का समर्थन था, वैसे ही सीजेपी को भी संघ से समर्थन व सहायता मिल रही है।

दिखावटी संगठन बताया है और कहा है कि उसके पास कोई गहरी नीतिगत सोच नहीं है। कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि सीजेपी खुद को अधिक स्पष्ट रूप से भाजपा-विरोधी रुख के साथ जोड़े, बजाय इसके कि वह केवल "सत्ता विरोधी रुख" का एक आम दावा करे। मई के मध्य में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े एक युवा द्वारा शुरू किया गया,

सीजेपी एक व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन है, जो बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक (विशेषकर नीट 2026), शिक्षा व्यवस्था की खामियों और शासन की विफलताओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। अस्तित्व में आए मात्र 15 दिनों के भीतर ही सीजेपी ने सोशल मीडिया पर भारी लोकप्रियता हासिल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# केरल में मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली हुई तरबतर

## दिल्ली एनसीआर में मौसम ने नाटकीय करवट ली और भारी वर्षा हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 4 जून। गुरुवार को मौसम ने नाटकीय करवट ली और दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर) में दोपहर का समय सांझ जैसा दिखाई देने लगा। घने बादलों और जबरदस्त धूलभरी आंधियों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।

जिस दिन (गुरुवार) दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में प्रवेश किया, उसी दिन दिल्ली और एनसीआर में भी मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट बदली। काले बादल, तेज धूलभरी आंधियां और भारी वर्षा ने अपराह्न काल में ही अंधेरे जैसा माहौल पैदा कर दिया।

दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच, नोएडा और आसपास के इलाकों में आसमान इतना काला हो गया कि लोगों

■ इतने घने बादल छाए कि भारी दोपहरी में अंधकार सा लगने लगा, लोगों को गाड़ियों की हैंडलाइट्स जलानी पड़ीं। बारिश से शहर के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आ गई।

■ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जून तक के लिए क्षेत्र में यलो अलर्ट जारी किया है और दिल्ली एनसीआर में आंधी-तूफान की संभावना जताई है।

■ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकृत घोषणा की कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंच गया है और इसके साथ वर्षा ऋतु के आगमन की घोषणा कर दी गई।

को रात जैसा महसूस होने लगा। वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण हेडलाइट्स जलानी पड़ीं। हालांकि इस तूफान ने भीषण गर्मी से राहत दी, लेकिन तेज हवाओं और उड़ती धूल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। अचानक हुए इस मौसमी बदलाव

के कारण जबरदस्त धूलभरी आंधियां चलीं, जिनके कारण सड़कों पर पड़ा मलबा, पत्ते और धूल उड़ने लगी। इससे प्रमुख मार्गों पर पैदल और वाहन यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। अंधकार और तेज हवाओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंग

भोपाल, 04 जून (हि.सं.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन को बेटी दीक्षा कुशवाह ने मात्र 22 मिनट में आठ मिलीमीटर आकार के चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड

■ मध्यप्रदेश उज्जैन की दीक्षा कुशवाह ने 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाई और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।

वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी।

उज्जैन के ऋषि नगर निवासी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# 'ईरान वॉर से अमेरिकन सैनिक वापस बुलाए जाएं'

## अमेरिका में हाउस ऑफ रैप्रैजेंटेटिव्स ने प्रस्ताव पारित कर ट्रंप को निर्देश दिया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 4 जून। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ईरान युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। यह कदम मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को एक राजनीतिक झटका जरूर लगा है।

ट्रंप की बहुमत वाली रिपब्लिकन पार्टी के चार सदस्यों ने इस कदम का समर्थन करने में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। यह प्रस्ताव 215-208 वोटों से पारित होकर सीनेट में गया है, लेकिन अंततः इसे राष्ट्रपति के वीटो का सामना करना पड़ेगा।

हाउस फ्रैंच अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, "यह अमेरिकी

■ हालांकि, हाउस ऑफ रैप्रैजेंटेटिव्स का यह प्रस्ताव एक प्रतीकात्मक कदम है। पर, यह राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक करारा झटका है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसकी वजह से 215 के मुकाबले 218 मतों से प्रस्ताव पारित हो गया। ऐसा पहली बार हुआ, जब रिपब्लिकन के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रैप्रैजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है।

■ डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला कर संविधान का उल्लंघन किया है। वॉर पावर्स एक्ट के तहत किसी युद्ध में अमेरिकी सेना तैनात करने के बाद 60 दिनों में कांग्रेस की अनुमति लेनी चाहिए। पर वह अवधि कई सप्ताह पहले ही गुजर चुकी है।

जनता की ओर से डॉनल्ड ट्रंप को दिया गया जोरदार और स्पष्ट संदेश है कि अब समय आ गया है कि ईरान में उनके बेहद

अलोकप्रिय और अवैध युद्ध को समाप्त किया जाए।" ऐसा पहली बार हुआ है, जब

रिपब्लिकन बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने युद्ध शुरू होने के तीन महीने बाद ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप को तैरान के खिलाफ सैन्य युद्ध सीमित करने के लिए मजबूर करना है।

डेमोक्रेट्स का मानना है कि यह मतदान युद्ध और शांति से जुड़े फैसलों में कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका को फिर से स्थापित करने के उनके प्रयासों में एक संभावित निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

ऐसा ही एक प्रस्ताव मई के अंत में सीनेट में एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक चरण पार कर चुका है। रिपब्लिकन बहुमत वाली सिनेट में भी इसे इसी सप्ताह पारित किया जा सकता है। हालांकि रिपब्लिकन नेतृत्व अंतिम मंजूरी को रोकने की कोशिश कर सकता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिक चार दिन की पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली, 04 जून। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार

■ दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर गुरुवार को अदालत में पेश किया।

करने के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया।

पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की हिरासत की मांग की। सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने कहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। इस पर दिल्ली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# ओटीएस चौराहे पर फ्लाइंगओवर बनाने के लिए नई डी.पी.आर. बनाने का आदेश रद्द

## हाईकोर्ट ने पूर्व में जेसीएल इंफ्रा कंपनी को साँपे गए प्रोजेक्ट की निविदा रद्द करने के आदेश को भी निरस्त किया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे, जो ट्रैफिक जाम के लिए सबसे कुख्यात चौराहा है, को जाम फ्री और सिग्नल फ्री करने तथा एक फ्लाइंगओवर, सब-वे निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य के 184.30 करोड़ रुपये के 2022 के टेंडर को रद्द करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) को फटकार लगाया है।

ज्ञात रहे कि यह निविदा पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2022 में जारी हुई थी। कंपनी को 5 जनवरी 2024 तक यह यह प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन जेडीए प्रशासन ने एमएनआईटी

और ओटीएस से जमीन ही अवाप्त नहीं की। इसके विपरीत, जेडीए ने इस निविदा को 24 अप्रैल 2024 को रद्द करते हुए ओटीएस चौराहे पर फ्लाइंगओवर के लिए 83 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाइंगओवर की नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने की निविदा जारी कर दी। जेडीए द्वारा पूर्व के टेंडर निरस्त करने को चुनौती देते हुए जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 83 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनाने के टेंडर

■ अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि, जेडीए और जेसीएल इंफ्रा के बीच हुए अनुबंध को निरस्त करने के कारणों की जांच करवाएं, साथ ही दोषी अफसरों पर 2 माह में कार्रवाई करें।

■ अदालत ने जेडीए को फटकारते हुए कहा कि "इस प्रकरण में जेडीए के प्रभारी अधिकारी की ओर से कोर्ट में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।"

■ अधिवक्ता एस.एस. होरा ने कहा कि, याचिकाकर्ता कंपनी को दिया हुआ ठेका अकारण और सुनवाई किए बिना जेडीए ने वापस लिया है, जबकि कंपनी ने इंफ्रास और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। यहां तक कि प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटा लिए थे, लेकिन जरूरी अनुमतियां व साइट पर जमीन मुहैया नहीं करवाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।"

आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने

जेडीए को कहा है कि वह पूर्व में हुए

अनुबंध के आधार पर ही प्रोजेक्ट को